

बिहार सरकार,  
श्रम संसाधन विभाग

--: अधिसूचना ::--

पटना, दिनांक-09/7/2018

संख्या- 1/श्रम वि०स्था० (1) 10-23/2015 श्र०सं०.....33...../श्री प्रशान्त राहुल,  
श्रम अधीक्षक, वैशाली-01 को वित्त विभाग के संकल्प सं० 2498, दिनांक 12.4.07 में निहित  
प्रावधान के तहत दिनांक 13.07.18 से 27.07.18 तक कुल 15 दिनों का पितृत्व अवकाश स्वीकृत  
किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(seer  
9.7.18

(सतीश कुमार शाही)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-1/श्रम वि०स्था० (1) 10-23/2015 श्र०सं० .....33...../पटना, दिनांक-09/7/2018  
प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में  
प्रकाशनार्थ/महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०)  
विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/श्रमायुक्त, बिहार,  
पटना/जिला पदाधिकारी, वैशाली/आई०टी० मैनेजर, (विभागीय वेवसाईट पर  
प्रकाशनार्थ) श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सम्बन्धित पदाधिकारी को सूचनार्थ  
एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(seer  
9.7.18

सरकार के अवर सचिव।